

ग्रामीण सेवा शिविर-2025
कैम्प स्थल-मिठौड़ा

राजस्थान-सरकार

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सिवाना जिला बालोतरा

प्रकरण संख्या:- 1/2025
जीसीएमएस संख्या:- 2025/400

--: आदेश :-

दिनांक- 09.10.2025

प्रार्थी/प्रार्थीगण के "खाता दुरुस्ती" प्रार्थना पत्र एवं पटवारी मिठौड़ा की रिपोर्ट तथा तहसीलदार सिवाना की रिपोर्ट व प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज यथा आधार कार्ड, प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत शपथ पत्र, सरपंच ग्राम पंचायत मिठौड़ा की रिपोर्ट, पटवारी हल्का की रिपोर्ट व तहसीलदार सिवाना की अनुशंसा के आधार पर राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136 के तहत निम्नानुसार शुद्धि की जाकर तदनुसार तहसीलदार सिवाना को राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करने के आदेश दिये जाते हैं:-

क्र.सं	ग्राम	खसरा संख्या	वर्तमान प्रविष्टि (अशुद्ध प्रविष्टि)	आदेश (शुद्ध प्रविष्टि जो राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज की जानी है)
1	उण्डेलनगर	110, 220, 223	मुफतखां पुत्र बरकत खा	मुफतखां पुत्र बरगत खां

(सुरेन्द्र सिंह खंगारोत)
उपखण्ड अधिकारी
सिवाना (बालोतरा)

क्रमांक- /राजस्व/ग्रा.से.शिविर/2025/ 1660
प्रतिलिपि -

दिनांक:- 10.10.25

1. तहसीलदार सिवाना को भेजकर लेख है कि आदेशानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद शीघ्र किया जाकर पालना रिपोर्ट भिजवायें।
2. प्रार्थी मुफत खां पुत्र बरगत खां जाति मुसलमान निवासी मिठौड़ा तहसील सिवाना जिला बालोतरा
3. रक्षित पत्रावाली।



(सुरेन्द्र सिंह खंगारोत)
उपखण्ड अधिकारी
सिवाना (बालोतरा)

